	Desirable: (i) one year's experience as In-charge/2IC or equivalent in Demo Platoon. (ii) basic level certificate or Diploma course in computers. **Note.-** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/77/2015-PT]

NARENDRA KUMAR SAHOO, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

सा.का.नि.110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1980 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड–III के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में आशुलिपिक ग्रेड –II पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, आशुलिपिक ग्रेड-II समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2020 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक-ग्रेड-II	11* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर -4 (25500 – 81100/- रुपये)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पणी:** आयु-सीमा के अवधारित की तारीख निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
आवश्यक : 1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। 2. कौशल परीक्षण मानदण्ड श्रुतलेख: प्रति मिनट 80 की दर पर 10 मिनट तक अनुलिपीकरण: 65 मिनट (अंग्रेजी), 75 मिनट (हिंदी) (मैन्युअल टाइपराइटर पर) अथवा 50 मिनट (अंग्रेजी), 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** एक अथवा अधिक वर्षों तक प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश या किसी परिस्थिति के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के पदधारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकेगा, जो सदृश नियमित आधार पर या सदृश पदधारण करते हों और स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु) में शामिल है:** i. संयुक्त निदेशक या उप निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष ii. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या अन्य संस्थान के उप निदेशक - सदस्य iii. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	आवश्यक नहीं

[सं.1-71/2019/प्रशा.I]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th July, 2020

G.S.R. 110 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Malaria Eradication Programme, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-III except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Stenographer Grade-II** in the National Vector Borne Disease Control Programme, (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (i) These rules may be called the National Vector Borne Disease Control Programme **Stenographer Grade-II, Group 'C' Post** Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in Pay Matrix.**—The number of said post, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection posts	Age - limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II.	11* (2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C'non-Gazetted Ministerial	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100)	Not Applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential 1. 12 th Class pass or equivalent from a recognised Board. 2. Skill Test Norms Dictation: 10 mts @ 80 words per minute, Transcription:- 65 mts (English) 75 mts (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 mts (English) 65 mts.(Hindi) (On Computer)	Not Applicable	Two years for direct recruits	By Direct recruitment through Staff Section Commission. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness orstudy leave or under circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for Direct recruits at Col (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades, from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Joint Director or Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme – Chairman ; (ii) Deputy Director of Directorate General of Health	Not necessary.

	Services or any other institution of the Directorate located in New Delhi – Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	

[No. 1-71/2019/ Admn.I]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

सा.का.नि.111.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्य उद्यानविद, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 1996, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण वर्ग I तथा वर्ग II राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1967, जहां तक उनका संबंध उप अधीक्षण उद्यानविद और भू-दृश्य वास्तुकार के पदों से हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (सहायक अधीक्षण उद्यानविद) भर्ती नियम, 1995 और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह ग अराजपत्रिक पद) भर्ती नियम, 1968, जहां तक कि उनका संबंध ज्येष्ठ उद्यान सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में मुख्य उद्यानविद, उप अधीक्षण उद्यानविद, सहायक अधीक्षण उद्यानविद, भू-दृश्य वास्तुकार और ज्येष्ठ उद्यान सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उद्यान संवर्ग (समूह 'क' तथा समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है|

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अहर्ताएं आदि .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।